UPGK010053342015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्र0 नि0 अधि0 (यू0 पी0 एस 0 ई 0 बी0), गोरखपुर।

सत्रवाद संख्या- 185/2015,
सरकार.....बनाम..... सतीश हरिजन वगै०,
मु0 अ 0 सं0- 621/2014,
धारा- 3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 ,
थाना- कैण्ट , जिला गोरखपुर।

दिनाँक- 17.02.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण धीरज पासवान व भीम पासवान की हाजिरी माफी जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत। स्वीकृत केवल आज के लिये। अभियुक्त सतीश हरिजन जिला कारागार से उपस्थित है।

उपरोक्त मामले में अभियुक्त सतीश हरिजन की तरफ से माफीनामा प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.01.2024 को कारापाल जिला कारागार, गोरखपुर द्वारा अग्रसारित अपराध संस्वीकृति का प्रार्थना-पत्र जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त आकाश मिश्र दिनाँक 02.12.2022 से एक वर्ष, दो माह पन्द्रह दिन जिला कारागार में निरूद्ध रहा है। अभियुक्त द्वारा जुर्म-स्वीकारोक्ति प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त उपरोक्त धारा -3 (1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अपराध में अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सतीश हरिजन को उनके विरूद्ध प्राप्त आरोप-पत्र में उल्लिखित अपराध अन्तर्गत धारा-3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जेल में निरूद्ध है तथा न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित हैं। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

(विनय आर्या)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
भ्र 0 नि0 अधि0(यू0 पी0 एस 0 ई 0 बी0) गोरखपुर।
J O No. UP6413

बादहू, दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष के तर्को को दण्ड के प्रश्न पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा स्वयं कहा गया कि वे गरीब घर के व्यक्ति हैं और उनका कोई पैरोकार नही है। अतः उसे कम से कम सजा से दण्डित किया जाय। जबकि अभियोजन पक्ष के विशेष ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा कहा गया कि अभियुक्त शातिर अपराधी है तथा संगठित गिरोह के सदस्य हैं। उनके द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुए उन्हें अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाय।

पत्रावली पर उपलब्ध गैंगेस्टर चार्ट में अंकित अपराधों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराध धारा–3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधि0 1986 के मामले में दो वर्ष एक माह के कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त सतीश हरिजन को सत्रवाद संख्या– 185/2015, सम्बन्धित मु0 अ 0 सं0–621/2014, थाना–कैण्ट, जिला गोरखपुर के मामले में दोषसिद्ध पाये जाने के आधार पर धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दो वर्ष एक माह के कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को पन्द्रह दिनों के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, उसके विरूद्ध पारित दण्डादेश में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त का दोषसिद्धी वारण्ट अविलम्ब तैयार कर सजा भुगतने के लिए जिला कारागार, गोरखपुर भेजा जाय तथा आदेश की एक प्रति उन्हें निःशुल्क प्रदान की जाय।

दिनाँक- 17.02.2024

(विनय आर्या)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
भ्र 0 नि0 अधि0(यू0 पी0 एस 0 ई 0 बी0) गोरखपुर।
J O No. UP6413

Digitally signed by VINAY ARYA
Date: 2024.02.17 16:22:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court